संख्या-50/971/58-2-2014-300(14)/2014

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 13 नवम्बर, 2014**

विषय:-**अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखाशीर्षक-2401-119-01-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के0 75 /रा0 25-के0+रा0) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0-2,25,25 हजार को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-201-02/बजट-आयोजनागत/2014-15, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि कुल रूपये 32,99,72 (रूपये बत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख बहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष 27-सब्सिडी मद में मुख्य योजना के लिए पूर्व में शासनादेश संख्या-32/477/58-2-2014-300(14)/2014, दिनांक 10 जून, 2014 एवं पत्र संख्या-37/671/58-2-2014-300(14)/2014, दिनांक 06 जुलाई, 2014 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 2,61,88 हजार एवं रू0 14,73,04 हजार के क्रम में आपके द्वारा दिये गये प्रस्ताव के आधार पर धनराशि रू0 2,25,25 हजार (दो करोड़ पच्चीस लाख पच्चीस हजार मात्र) जिसमें केन्द्रांश की धनराशि रू0 16893.75 (एक करोड़ अरसठ लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि रू0 5631.25 (छप्पन लाख इकतिस हजार दो सौ पचास मात्र) सम्मिलित है, को निम्न विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने के निमित्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो राष्ट्रीय खाद्य

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्करण मिशन के मिशन निदेशक भी हैं, के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक/मद का नाम	कोड सं0/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान	पूर्व में मुख्य योजना हेतु अवमुक्त की जा चुकी धनराशि	प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से मुख्य योजना के लिए अवमुक्त की जा रही धनराशि
10	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं- 0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के0-75/रा0-25-के0+रा0)	04-यात्रा व्यय	800		
		08-कार्यालय व्यय	1500		
		09-विद्युत देय	1000		
		11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	4000		
		12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1500		
		13-टेलीफोन	800		
		15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3000		
		16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9000		
		18-प्रकाशन	700		
		27-सब्सिडी	285972	173492	22525
		29-अनुरक्षण	2500		
		42-अन्य व्यय	15000		
		44-प्रशिक्षण हतु यात्रा एंव अन्य प्रासंगिक व्यय	700		

http://shasanadesh.up.nic.in

		46-कम्प्यूटर/हार्डवेयर का क्रय	2500		
		47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बधी स्टेशनरी का क्रय	1000		
		योग-	**329972**	173492	22525

(दो करोड़ पच्चीस लाख पच्चीस हजार मात्र)

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिना शासन की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

2- योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण सम्बन्धी प्रस्ताव भी इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त संगत प्रस्तावों के मदवार विवरण एवं समस्त अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराये जायेंगेतथा शासन की अनुमति के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

3- खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थी भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011 टी0सी0 -11, दिनांक 29 मई, 2012 का पूर्णत: पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभागके कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 में निर्दिष्ट बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)

संयुक्त सचिव।

संख्या-50/971(1)/58-2-2014-300(14)/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

-3-

5- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

8- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in